

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बारां (2)

आज्ञा-पत्र

श्री पत्र

उनवान हारम्या डपी गण्डाबाल

बनाम

कदमा 5388.87, 90, 91 न 188

मि. नं 38/04

सन

नम्बर व तारीख जो इस हुकम को तामाल में जारी हुए

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिगियल जज

6104

सरिरता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया कि वह
द्वारा रजिस्ट्रार किया जावे तथा तब ही प्रतिवादी
जैसे सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 15/7/04
को पेश हो।

1517104

पत्रावली पेश हुयी नवील कादी उपर प्रतिवादी
कुम। श्री जोर से श्री शैशचन्द शर्मा द्वारा न
ज्वालननामा पेश किया, प्रतिवादी कुम उपरोक्त सरकार
उपर, प्रतिवादी कुम 2 श्री जोर से पत्र दिया गया
पत्रावली प्रतिवादी कुम। से 3 के अन्वय में दि
26/7/04 को पेश हो।

617104

पत्रावली पेश हुयी नवील कादी उपर प्रतिवादी कुम 2
कुम 3 उपर, उसके द्वारा जवाब पेश किया जिसकी
नकल नवील कादी को दी जाय (अर्थात्) परोक्ष
सरकार व प्रतिवादी कुम। से अन्वय में पत्रावली
दि 1/8/04 को पेश हो।

रुक्मणी माई

104

नवील पत्रकारान उपर प्रतिवादी कुम 2, जवाब पेश
अर्थात् हेतु समय चाहे है परोक्ष सरकार उपर
जवाब हेतु समय चाहे। पत्रावली प्रतिवादी कुम 1
के अन्वय में दि 3/9/04 को पेश हो।

पत्रावली आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उप०। तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त जो शा० फ० है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 01 द्वारकालाल पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार सा० देह के नाम आराजी खसरा संख्या 2794/633 रकबा 0.66 हे० भूमि खातेदारी में दर्ज है जबकि वाद निर्णय अनुसार आराजी खसरा नं० 633 रकबा 0.98 हे० दर्शाया गया वर्तमान जमाबन्दी में 0.98 हे० में 0.32 हे०, भूमि का बेचान होने से विवादित आराजी का नया खसरा 2794/633 रकबा 0.66 हे० दर्ज है मुताबिक निर्णय उक्त खसरा में कमी पूर्ति हेतु खसरा संख्या 581 रकबा 2.78 हे० भूमि में से 0.30 हे० जो कि प्रतिवादी क्रम 03 के वारिसान के नाम दर्ज है व खसरा संख्या 632 रकबा 1.42 हे० में से 0.08 हे० भूमि कुल 0.38 हे० भूमि कम कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 01 के खाते दर्ज कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। आराजी खसरा संख्या 581 रकबा 2.78 में 0.30 हे० कम करने के पश्चात 2.48 हे० शेष व आराजी खसरा संख्या 632 रकबा 1.42 हे० में 0.08 कम करने के पश्चात 1.34 हे० भूमि शेष रहती है। प्रतिवादी क्रम 01 द्वारक्या उर्फ द्वारकालाल पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार के नाम वर्तमान दर्ज आराजी खसरा संख्या 2794/633 रकबा 0.66 किस्म माल 2 में 0.38 हे० रकबा बडाने पर कुल 1.04 हे० भूमि बनती है। इस प्रकार वादी को 1/2 में शामिल कर 1.04 हे० भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. ग्राम मण्डोला तह० बारां की आराजी :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	दिशा
1.	नन्दकवंरी बाई पत्नी द्वारक्या उर्फ द्वारकालाल जाति कुम्हार निवासी मण्डोला	2794/633	0.52	उत्तरी
	किता	01	0.52	

2. ग्राम मण्डोला तह० बारां की आराजी :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	दिशा
1.	द्वारकालाल पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार सा० देह रहन बडौदा राज० क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा DD पार्क	2794/633	0.52	दक्षिणी
	किता	01	0.52	

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

(विश्वजीत सिंह)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी बारां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 58/2004	धारा अन्तर्गत 53,88,89,90,91,188 आर टी एक्ट	अन्तिम निर्णय दिनांक : 17/10/2025
समक्ष : श्री विश्वजीत सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:- श्री अरविन्द सिंह हाडा एड0		अभिभाषक प्रतिवादी:- श्री महेशप्रकाश गौतम एड0 प्रति0 क्रम 5 व 6

वाद शीर्षक

उनवान

1. नन्दकंवरी बाई पत्नी श्री द्वारक्या उर्फ द्वारकालाल जाति कुम्हार निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री द्वारक्या उर्फ द्वारकालाल जाति कुम्हार निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0

वादीगण-

बनाम

1. द्वारक्या उर्फ द्वारकालाल पुत्र श्री रामनारायण जाति कुम्हार निवासी मण्डोला तहसील बारां
2. रुकमणि बाई पुत्री श्री द्वारक्या उर्फ द्वारकालाल जाति कुम्हार पत्नी श्री रामबिलास जाति कुम्हार निवासी कोयला तहसील बारां जिला बारां राज0
3. मांग्या पुत्र श्री मथुरालाल जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
4. गणेश पुत्र श्री मथुरालाल जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
- 4/1 महावीर पुत्र श्री गणेश जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
5. मोहनलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
6. रामेश्वर पुत्र श्री भैरूलाल जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
7. ग्यारसी बाई बेवा भैरूलाल जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
8. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण-

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:-

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 01 द्वारकालाल पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार सा0 देह के नाम आराजी खसरा संख्या 2794/633 रकबा 0.66 हे0 भूमि खातेदारी में दर्ज है जबकि वाद निर्णय अनुसार आराजी खसरा नं0 633 रकबा 0.98 हे0 दर्शाया गया वर्तमान जमाबन्दी में 0.98 हे0 में 0.32 हे0, भूमि का बेचान होने से विवादित आराजी का नया खसरा 2794/633 रकबा 0.66 हे0 दर्ज है मुताबिक निर्णय उक्त खसरा में कमी पूर्ति हेतु खसरा संख्या 581 रकबा 2.78 हे0 भूमि में से 0.30 हे0 जो कि प्रतिवादी क्रम 03 के वारिसान के नाम दर्ज है व खसरा संख्या 632 रकबा 1.42 हे0 में से 0.08 हे0 भूमि कुल 0.38 हे0 भूमि कम कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 01 के खाते दर्ज कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। आराजी खसरा संख्या 581 रकबा 2.78 में 0.30 हे0 कम करने के पश्चात 2.48 हे0 शेष व आराजी खसरा संख्या 632 रकबा 1.42 हे0 में 0.08 कम करने के पश्चात 1.34 हे0 भूमि शेष रहती है। प्रतिवादी क्रम 01 द्वारक्या उर्फ द्वारकालाल पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार के नाम वर्तमान दर्ज आराजी खसरा संख्या 2794/633 रकबा 0.66 किस्म माल 2 में 0.38 हे0 रकबा बडाने पर कुल 1.04 हे0 भूमि बनती है। इस प्रकार वादी को 1/2 में शामिल कर 1.04 हे0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. ग्राम मण्डोला तह0 बारां की आराजी :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	दिशा
1.	नन्दकंवरी बाई पत्नी द्वारक्या उर्फ द्वारकालाल जाति कुम्हार निवासी मण्डोला	2794/633	0.52	उत्तरी
	किता	01	0.52	

उप खण्ड अधिकारी
बारां


ग्राम मण्डोला तह0 बारां की आराजी :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	दिशा
1.	द्वारकालाल पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार सा0 देह रहन बडौदा राज0 क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा DD पार्क	2794 / 633	0.52	दक्षिणी
	किता	01	0.52	

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार..... रू0 का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 17/10/2025 को निर्गत किया गया।


उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला-बारां
उप खण्ड अधिकारी
बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिष्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		